

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

बेज़ नम्बर २४-२५
दक्षिण मार्ग, सेक्टर ३१ ए
चण्डीगढ़-१६००३०

F.No. :- 9-PBB431/2016-CHA

दिनांक : मंगलवार, 22 अगस्त 2017

सेवा में,
विशेष मुख्य सचिव (वन),
पंजाब सरकार लघु सचिवालय,
सेक्टर-9, चण्डीगढ़।

विषय:- Diversion of 0.0232 ha of forest land in favour of M/s Vallabh Steel West Pvt/ Ltd. for approach road to M/s Vallabh Steel West Pvt. Ltd. Village Baproun on G.T. Road (NH-1) KM 215-216 L/s Tehsil Rajpura under Forest Division and District Patiala, Punjab

संदर्भ:- पंजाब सरकार, वन एवं वन्य जीव संरक्षक विभाग के पत्र संख्या FCA/1980/PBIP/233/2016/7026 दिनांक 14.09.2016 व पत्र संख्या FCA/1980/PBIP/233/2016/1455 दिनांक 04.08.2017 व ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/PE/IND/20223/2016.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-२ के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु **0.0232** हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सैधांतिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

- प्रयोक्ता एजेंसी ने स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाये।
- पैनल प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम प्रभावित वन क्षेत्र (0.0264 ha) के दस गुणा (0.264 ha) क्षेत्र में 7-10 वर्षों के लिए पौधों के रखरखाव के लिए बना कर भेजें तथा उसके अनुसार पैनल CA साईट सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट भेजें तथा पैनल प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार पैनल प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाये।
- माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रजेंट वैल्यू जमा करवाई जाये।
- प्रयोक्ता एजेंसी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट <http://forestsclearance.nic.in> या <http://efclearance.nic.in> पर केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाएगी।

कृ० पृ० उ०....

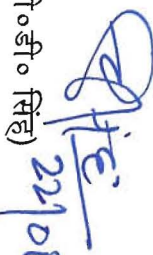
3. अन्तिम स्वीकृति के उपरान्त निम्नलिखित शर्तों का पालन भी किया जायेगा।

- i. वन भूमि की वैधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- ii. प्रस्ताव के अनुसार कम से कम पेड़ काटे जायेंगे। प्रस्ताव के अनुसार काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या 04 से अधिक नहीं होगी।
- iii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
- iv. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
- v. जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी।
- vi. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
- vii. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
- viii. स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जाएगी।
- ix. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
- x. कूड़ा कर्कट निमटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।
- xi. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय – समय पर लगाई जा सकती है।
- xii. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

4. उपरोक्त पैरा -2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। केन्द्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

5. यह स्वीकृति माननीय राष्ट्रिय हरित अधिकरण के आदेश संख्या OA 161 व 162/2016 के अंतिम आदेश के अधीन प्रदान की जाती है।

भवदीय,


(सी०डी० सिंह) 22/08/2017

अ०प्र०मु०वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, इन्द्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग़, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पंजाब, फोरेस्ट कॉम्पलैक्स, सै०-68, एस० ए० एस० नगर, मोहाली, पंजाब।
3. वन मंडल अधिकारी वन मंडल एवं जिला पटियाला, पंजाब।
4. प्रबन्धक श्री मंदीप सिंह मकान न० 38, सै० वल्लभ स्टील वेस्ट प्रा० लि०, वर्क्स कॉलोनी राजपुरा टेक, पटियाला।